30-7-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण
मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई. बहस
सुने जाने के पश्चात प्रकरण का हमारे द्वारा गहन
अवलोकन किया गया, प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज
का अवलोकन किया तथा प्रकरण का अवलोकन
करने पर प्रकरण मे वादी गवाह सुशिल कुमार का
साक्ष्य हेतु शपथ दि. 2-12-19 को पेश किया गया था
उसके उपरान्त वादी गवाह के बयान कलम बद्ध नही
कराये गये न ही दस्तावेज प्रदर्श हुए. प्रकरण मे
दिनांक 10-9-21 को जिरह वादी कई अवसर दिये
जाने के पश्चात भी उपस्थित नही होने से जिरह
वादी ~~[illegible]~~ का अवसर बन्द किया गया था। एवं
प्रकरण मे जिरह प्रतिवादी बन्द कि गई। प्रकरण
मे दोनो पक्षो के ही बयान नही हुए है। और न ही
दस्तावेज प्रदर्श हुए. जब प्रकरण मे दस्तावेज
प्रदर्श नही हुए ऐसी स्थिति मे दस्तावेज रिकार्ड
पर नही आ सकते है। और न ही प्रकरण मे पढ़े जा
सकते है। अत: वाद वादी का दावा अ. धा. 53 RTA
का साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।